न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 46 / 2022(GCMS 2022/319)

सुखदर्शन सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **कम्पीटेन्ट अथॉरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी, करणपुर**(भारतमाल परियोजना) पैकेज–6 पार्ट 1
2. **स्टेट** ऑफ राजस्थान जरिये जिलाधीश, श्रीगंगानगर
3. **भारत संघ** जरिये (MORTH)(मिनिस्टरी रोड़ ट्रांसपोर्ट हाइवे), न्यू दिल्ली
4. **श्रीमान् परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ़

26.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दलबारा सिंह बराड़ एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दलबारा सिंह बराड़ का कथन है कि प्रार्थी के नाम से चक 1 एफ ए के मुरब्बा नं. 27 में 17 बीघा रकबा खातेदारी है जिसमें से भारतमाला परियोजना में अवाप्त की गई भूमि में प्रार्थी की क्रम संख्या 1, किला नं. 14 में 0.0278 है., क्रम संख्या 2, किला नं. 10 में 0.1692 है., क्रम संख्या 3, किला नं. 10 में 0.0273 है, क्रम संख्या 4 किला नं. 11 में 0.0256 है, क्रम संख्या 5 किला नं. 11 में 0.0042 है., क्रम संख्या 6, किला नं. 12 में 0.0291 है., क्रम संख्या 7 किला नं. 13 में 0.0283 है., क्रम संख्या 8 किला नं. 15 में 0.0268 है., क्रम संख्या 9 किला नं. 6 में 0.1995 है., क्रम संख्या 10 किला नं. 7 में 0.1988 है., क्रम संख्या 1[illegible] नं. 8 में 0.198 है., क्रम संख्या 12 में किला नं. 9 में 0.1973 है. कुल [illegible] है. रकबा खातेदारी है। जो भूमि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत अ[illegible]र्थीगण द्वारा अवा[illegible] गई है, जिसका प्रार्थी खातेदार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एन 62 भारतमाला परियोजना पैकेज–6 पार्ट–1 के गंगानगर (एनएच 62) साधूवाली जैड माईनर करणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के लिए चक 1 एफ ए तहसील करणपुर के मुरब्बा नं. 27 में 1.1317 है. भूमि अवावप्त की कार्यवाही की थी जिसमें प्रार्थी द्वारा ऐतराज भी पेश किये गये थे। जिसकी अधिसूचना दिनांक 11.04.2018 को जारी की गई थी। उसके अन्तर्गत बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना व्यक्तिगत नोटिस दिये अवार्ड पारित कर दिया गया, को विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भातरमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग में चक 44 एफ, 46 एफ, 12 ओ, 5 ओ, 9 डब्ल्यू आदि अन्य चकों की भूमि अधिग्रहण करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को लैंड एक्युजिशन ऑफिसर भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर अथोराईज किया है। प्रार्थी की भूमि चक 1 एफ ए के मुरब्बा नं. 27 में 1.1317 है. प्रार्थी के खाता में दर्ज है जो क्रम संख्या 1 से 12 की भूमि अवाप्त की गई है। जिसमें डीएलसी रेट का (1+25) गुणा के आधार पर मुआवजा दिया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग रायसिंहनगर से साधुवाली तक भारतमाला परियोजना पैकेज–6 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 1 एफ ए से साधुवाली तक भारतमाला के अंतर्गत बाईपास बनाकर उसे गंगानगर से अबोहर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा रहा है। जिसके अन्तर्गत भूमि एक्वायर करने की कार्यवाही की गई है जिसमें 11.04.2018 की अधिसूचना जारी की गई है जिसके बाद प्रार्थी को बिना उचित नोटिस दिये अवार्ड पारित कर दिया है, जो विधि के विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Raih
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का चक 1 एफ ए की भूमि मुरब्बा नं. 27 मे पडती है, जहां से गजसिंहपुर से करणपुर रोड बाईपास निकाला है उमसें कई प्राईवेट विद्यालय बने हुए है और कई फैक्ट्रियां लगी है और यह जमीन बिल्कुल करणपुर नगरपालिका क्षेत्र के साथ चिपती हुई है और इस भूमि में करणपुर की नगरपालिका क्षेत्र में पैराफेरी के नजदीक आने के कारण इसके भाव की बाजार कीमत करीब 1 करोड प्रति बीघा है और दूसरा प्रार्थी की जमीन जो एक्वायर की गई है, उसमें प्रार्थी की भूमि के दो टूकडे हो गये है और जहां भारतमाला सडक निकलेगी उससे प्रार्थी के एक हिस्सा की भूमि जो किला नं. 1 से 5 व अन्य भूमि दो भागो में बंट जायेगी जिससे पानी लगना बन्द हो जायेगा और प्रार्थी की खेती बर्बाद हो जायेगी। इस तरह प्रार्थी को इस नुकसान का अतिरिक्त राशि मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है जो भूमि प्रार्थी की खराब हो गई है, लेकिन अतिरिक्त राशि मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जो डीएलसी रेट 26.05.2021 को 1,98,742/— रूपये प्रति बीघा मानकर मुआवजा दिया है जबकि रिफलेक्टर एक्ट 2013 की धारा 26 के अनुसार मार्किट वैल्यु के हिसाब से समतुल्य राशि देने का प्रावधान है जो नहीं दिया गया है, इसलिए भी मुआवजा की राशि का आदेश निरस्त होने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की भूमि करणपुर से बिल्कुल चिपती है जो नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर व पैराफेरी एरिया में आती है जिसका मुआवजा पैराफेरी एरिया के हिसाब से मिलना चाहिए था, साथ में चारो तफर फैक्ट्रिया लगी हुई है जिसमें औद्योगिक व वाणिज्य क्षेत्र मानकर मुआवजा देना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सामान्य कृषि भूमि मानकर मुआजवा दिया गया है, जो कि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की भूमि में बाग लगा है जिसमें किला नं. 6 में पूरा किन्नू का बाग, किला नं. 7 में पूरा किन्नू का बाग, किला नं. 8 में 2 तिहाई किन्नू का बाग व 1 तिहाई खजूर, किला नं. 9 में आधा किन्नू का बाग व आधा खजूर व किला नं. 10 में आधा किन्नू का बाग व खजूर का बाग है किन्नू का बाग पांच साल का है और फल दे रहा है और यह 20 साल तक 1 लाख रूपया बीघा के हिसाब से फल देता है इस तरह प्रार्थी इस आय से वंचित हो जायेगा इसलिए किन्नू का बाग, खजूर के बाग का उचित मुआवजा दिया जावे। इसके अतिरिक्त दो टाली के बडे पेड है जिसका मुआवजा आदेश दिया है, उसमें नही दिया गया है और यह कहा गया है कि इसका बाद में अवार्ड जारी कर दिया जायेगा जबकि अवार्ड एक साथ जारी किया जाता है तब ही अवार्ड माना जाता है इस तरह अदालत द्वारा पार्टली जो अवार्ड दिया है वह विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की भूमि करणपुर मंडी से चिपती हुई है जिसकी कीमत 1,98,742/— रूपये प्रति बीघा मानी है। ग्राम पंचायत मौडा द्वारा भी यह प्रस्ताव पारित किया है कि डीएलसी रेट बहुत कम है और चूंकि 1 एफ ए (मौड़ा) बिल्कुल करणपुर मंडी से चिपता हुआ है और इसकी बाजारी कीमत 1 करोड़ प्रति बीघा के हिसाब से बनती है क्योंकि चक 1 एफ ए भूमि में विद्यालय व स्कूल है जिसके द्वारा करीब 1 करोड़ के हिसाब से भूमि खरीदी है और शहर के नजदीक होने से चारो तरफ कालोनियां बनी हुई है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जो कमेटी की रिपोर्ट मांगी है वह एक पक्षीय प्रार्थी को बिना सूचित किये दी गई है जो विधि विरूद्ध है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को निरस्त कर 1 करोड़ प्रतिबीघा के हिसाब से दिया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–6 के 34.500 कि..मी. से 71.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए भूमि अवाप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना क्रमशः दिनांक 02.04.2018 व 31.08.2018 का भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर तहसील श्रीकरणपुर के ग्राम 1 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 27 कि कि.नं. 6 से 15 में से नहरी/सिंचित भूमि अवाप्त की गई है। उक्त अधिसूचनाओ का प्रार्थी/भू–हितधारी को सूचित करने के लिए दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर आपत्तिया आमन्त्रित की गयी, जिन व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत की गयी और उनका सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3 ए की अधिसूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक 11.04.2018 को नहरी/सिंचित कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर 7,75,560/– रूपये प्रति हैक्टेयर को उपयोग में लेकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 सहित लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार अवाप्त सिंचित कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित किया गया है। समक्ष प्राधिकारी ने मुआवजा राशि के निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं की है तथा अधिनियम 1956 व अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों को ध्यान रखा गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिकारिता नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी की अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में जारी सूचनाओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाकर भू–हितधारी /आमजन को सूचित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में व्यक्तिगत नोटिस दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचनाओं का समाचार पत्रों में प्रकाशन करने के उपरांत पर्याप्त अवसर देने के बाद जिन भू–हितधारियों की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई, उसका सुनवाई बाद निस्तारण किया गया है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगामी विधिक कार्यवाही करने हेतु भूमि का अवार्ड जारी किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसरण मे प्रार्थी की भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) के अनुसरण में धारा 3ए की अधिसूचना के समय के प्रचलित दर के अनुसार किया जाता हैं हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अवाप्त भूमि की किस्म कृषि की धारा 3ए की अधिसूचना को प्रचलित दर को ध्यान में रखते हुए उसे प्राप्त कर अधिनियम 2013 की धारा 26 के प्रावधानो के अनुसार मुआवजा राशि की गणना कर अवार्ड पारित किया गया है, जो कि सही एवं उचित है। किसी भी अवाप्त भूमि की भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए मुआवजे का निर्धारण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थी को भूमि अवाप्ति से हाने वाली क्षतिपूर्ति स्वरूप भूमि के प्रचलित मूल्य के अलावा 100 प्रतिशत सोलिशयम राशि भी दी गई है, जिससे प्रार्थी के हितों की पूर्ण रक्षा होती है। इसलिए प्रार्थी को अन्य कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि ... द्वारा परिसंपत्तियों के संबंध में पृथक से श्रीमान्‌जी के समक्ष प्रकरण संख्या 55/2022 दायर कर रखा है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की अवाप्त भूमि पर अधिनियम 1956 की धारा 3 की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को केवल 2 देशी बबूल व 1 शीशम का पेड स्थित था, जिसका परिसम्पत्तियों का अवार्ड दिनांक 24.06.2022 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवाजा राशि का निर्धारण कर दिया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)ए की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन के समय प्रचलित दर के अनुसार भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है और अधिनियम 1956 की धारा 3(बी) की दी गई परिभाषा के अनुसार भूमि के अंतर्गत भूमि, उससे उत्पन्न फायदे, संलग्न या स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे/वस्तु या पेड़ पौधे, भवन इत्यादि संरचाये आती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धरा 3ए के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जारी कर प्रार्थी की भूमि को जवाबदाता द्वारा अवाप्त कर लिया गया था और उक्त धारा 3ए की अधिसूचना के समय प्रश्नगत अवाप्त भूमि पर कोई किन्नू व खजूर के पेड़/पौधे स्थित नहीं थे। धारा 3ए अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात प्रार्थी ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में कानून के साथ खिलवाड़ कर केवल उक्त प्रश्नगत अवाप्त भूमि पर ही अधिक संख्या में पौधे रोपित कर दिये गये। सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किन्नू व खजूर के पौधे धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के पश्चात किन्नू व खजूर के पेड/पौधें रोपित किये गये है, जिनका मुआवजा नहीं दिये जाना उचित मानते हुए दिनांक 24.06.2022 को अवार्ड पारित किया है, जो नियमानुसार सही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के प्रावधानों से भी स्पष्ट है कि भूमि अवाप्त करने के लिये अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात कोई भी खातेदार अवाप्त भूमि पर

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

कोई भी संरचना यथा पेड, पौधे व भवन इत्यादि का निर्माण/स्थापित नहीं कर सकता। प्रार्थी किन्नू व खजूर के पेड/पौधों का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, पत्रावली, उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर में भारतमाला परियोजना पैकेज–6 (पार्ट–1) के श्रीगंगानगर (एनएच–62) साधुवाली–जैड माईनर श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर –रायसिंहनगर के दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने व लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **3A. Power to acquire land, etc, -**
>
> (1) Where the central Government is satisfied that for a public purpose any land in required for the building, maintenance, management or operation of a national highway of part thereof it may, by notification in the official gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub section (1) shall give a brief description of the land.
>
> **(3)** The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 2 बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है :

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3. लोक सूचना के लिए उक्त अधिसूचना 4291(अ) का दिनांक 31.08.2018 को स्थानीय समाचार पत्रों में सीमा सन्देश व दैनिक भास्कर हिन्दी प्रारूप में दिनांक 21.09.2018 को इस आश्य से प्रकाशित करवाया गया कि प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अवाप्तिधीन भूमि के संबंध में दावा/आक्षेप प्रस्तुत किय जा सके। इस हेतु 21 दिन की समयावधि निर्धारित की गयी। निर्धारित समयावधि में हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से प्राप्त आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया।
4. अधिसूचना संख्या 4291(अ) का दिनांक 31.08.2018 में वर्णित आवप्तधीन भूमि हेतु संबधित हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के आधार पर संबंधित पटवारी/तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अद्योलिखित दुरूस्ती की गयी है:

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3C Hearing of Objections

1. **Any Person interested in the land may, within tweny-one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of the land for the purpose or purpose mentioned in that sub-section**
2. Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legel practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessay, by order, either allow or disallow the objections

Explanation : for the purpose of this sub- section "legal practitioner has the same meaning as in clause (i) of sub-section(1) of Section 2 of the Advocate Act 1961 (25 of 1961)

3. Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final."

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत जो भी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया है इसलिए प्रार्थी का यह कथन कि **सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई, स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी अवाप्त की भूमि पर बाग लगा होना अंकित किया है जबकि प्रार्थी स्वयं ने सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा बाग के सम्बन्ध में पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 के विरूद्ध अलग से प्रकरण से प्रस्तुत किया है, इसलिए हस्तगत प्रकरण में बाग के बिन्दु का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होगा है। अतः बाग के बिन्दु पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पत्रावली संख्या 55/2022 मे निर्णय पारित किया जायेगा।

सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.05.2021 के पृष्ठ संख्या 5 बिन्दु संख्या 3 व 4 में निम्नानुसार अंकित किया है :

> 3. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के क्रम संख्या 1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु धारा 26(1)(क) के अन्तर्गत उप पंजीयक से डीएलसी अनुमोदित दरें प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। उक्त पहली अनुसूची के क्रम [illegible] जना की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का कारक (Factor) से गुणित किया गया है। जिसमें समुचित सरकार द्वारा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार कारक (Factor) से गुणित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3(ड)(i) अनुसार किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से तात्पर्य इस परियोजना में राजस्थान सरकार से है। इसलिए संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप—6) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प—1(3)राज. 6 / 2011 / पार्ट / 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 इस प्रकरण पर लागू होती है, कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के अन्तिम बिन्दु से Radial दूरी के अनुसार किया गया है। अवार्ड निर्धारण में आने वाले ग्राम (1) 1FA (2) 12 O (3) 46 F में कारक (Factor) 1.25 (0 से 10 कि.मी.) एवं ग्राम (4) 44 F (5) 5 O (6) 6O-A (7) 6O-B (8) 9W में कारक(Factor) 1.50 (10 से 20 कि.मी.) में आने के कारण लागू होगा।

4. भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अनुसार बाजार मूल्य के समतुल्य तोषण की राशि निर्धारित की जा रही है।

सक्षम प्राधिकारी के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है और प्रार्थी को डी.एल.सी. दरों के अनुरूप ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ.7(39)जन / मार्गदर्शिका / 2015 / पार्ट / 4671 दिनांक 17.06.2015 में दिये** गये निर्देशानुसार, **जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है।** इसलिए प्रार्थी का [illegible] की उसे दी गई मुआवजा राशि बाजार मूल्य से कम [illegible] अतः प्रार्थी **का बाजार मूल्य से कम राशि दिये जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।**

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा जारी अधिसूचना निम्नानुसार अवलोकनीय है:

अधिसूचना

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप–धारा (2) सपठित प्रथम अनुसूचि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज–6/2011/पार्ट/13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारित हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्ना अनुसार होगा :

शहरी क्षेत्र से दूरी	**गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे**
0–10 कि.मी. तक	1.25
10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक	1.50
20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक	1.75
30 कि.मी. से अधिक	2.00

स्पष्टीकरण – जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार का समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

आर्किटेक्टर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण उक्त अधिसूचना में दिये गये कारक(Factor) के अनुसार ही दिया जाना है जबकि प्रार्थी ने अपनी बहस में पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग से राशि दिये जाने की मांग की है, जो सही नहीं है क्योंकि प्रार्थी को उक्त कारक(Factor) के अनुसार की राशि निर्धारित कर भुगतान किया गया है। **इसलिए प्रार्थी का पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग राशि दिये जाने बिन्दु खारिज किया जाता है, साथ ही प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि किस्म यथा औद्योगिक/वाणिज्य/कृषि के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।**

इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना निर्धारित डीएलसी दर (बाज़ार मूल्य) के आधार पर की गई है तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निर्धारित कारक(Factor) से गुणक राशि एवं उक्त दोनों राशि के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण (Solatium) राशि (धारा 30 के अधीन) एवं धारा 30(3) के तहत बाजार मूल्य(डीएलसी) पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्जाज(अवार्ड दिनांक तक) की गणना कर दी गई मुआवजा राशि सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति कम्पीटेंट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 2[illegible]3 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:10 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर